2010 का विधेयक सं. 22

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

2010 **का विधेयक संख्या** 22

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह राज-पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 2003 **क़े राजस्थान अधिनियम सं.** 4 **की धारा** 20 **का संशोधन.-**राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) क़ी धारा 20 में,-

(i) उप-धारा (2क) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (2क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, विक्रयों या क्रयों के किसी भी वर्ग को इस उप-धारा के उपबंध से छूट दे सकेगी।"।

———

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 20 की विद्यमान उप-धारा (2क) उपबंधित करती है कि प्रत्येक सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम, कम्पनी, सहकारी सोसाइटी, नगरपालिका, पंचायतीराज संस्था, स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से क्रय करता है, ऐसे व्यवहारी को संदेय रकम में से, ऐसे व्यवहारी द्वारा संदेय कर के बराबर रकम की कटौती करेगा और उसे सरकारी खाते में निक्षिप्त या जमा करेगा

विक्रय के कतिपय वर्गों के संबंध में पूर्वोक्त उपबंध से व्यवहारियों को और सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर, उपक्रमों, निगमों, कम्पनियों, सहकारी सोसाइटियों, नगरपालिकाओं, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय प्राधिकारियों और कानूनी निकायों को भी कठिनाई हो रही है, इसलिए, यह समुचित समझा गया है कि राज्य सरकार को विक्रयों या क्रयों के ऐसे वर्ग को पूर्वोक्त उप-धारा (2क) के प्रवर्तन से छूट देने के लिए सशक्त किया जाये। तदनुसार पूर्वोक्त उप-धारा (2क) के पश्चात् उक्त प्रभाव का एक परन्तुक जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003
(2003 **का अधिनियम सं.** 4) **से लिये गये उद्धरण**

xx xx xx xx

20. कर का संदाय.- (1) से (2) xx xx xx

(2क) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किन्तु उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी, या अपनी शेयर पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान रखने वाली किसी सहकारी सोसाइटी, या किसी नगरपालिका या जिला और खण्ड स्तर की किसी पंचायतीराज संस्था या राज्य विधान-डल की किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन गठित किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय को माल का विक्रय करता है, वहां ऐसा विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम, कंपनी, सहकारी सोसाइटी, नगरपालिका, पंचायतीराज संस्था, स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, कानूनी निकाय विक्रय करने वाले व्यवहारी को संदेय रकम में से ऐसे व्यवहारी द्वारा ऐसे माल पर संदेय कर के बराबर रकम की कटौती करेगा और उसे ऐसी रीति से और ऐसे समय में, जो विहित किया जाये, सरकारी खाते में निक्षिप्त या जमा करेगा।

(3) से (6) xx xx xx

xx xx xx xx

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 **को और संशोधित करने के लिए विधेयक।**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

एच.आर. कुड़ी,
सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 22 of 2010

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

(Authorised English Translation)

Bill No. 22 of 2010

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall be come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–In section 20 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003(Act No. 4 of 2003),–

(i) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of sub-section (2A), the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing sub-section (2A), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the State Government may, if it considers necessary in the public interest so to do, exempt, by notification in the Official Gazette, any class of sales or purchases from the provision of this sub-section.".

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The existing sub-section (2A) of section 20 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 provides that every Government department, public sector undertaking, corporation, company, co-operative society, municipality, Panchayati Raj Institution, local authority or statutory body which makes purchases from a registered dealer shall deduct an amount equal to tax payable by such dealer from the amount payable to such dealer and shall deposit or credit the same in the Government account.

In respect of certain class of sales, the aforesaid provision is causing hardship to the dealers and also to the Government departments, public sector undertakings, corporations, companies, co-operative societies, municipalities, Panchayati Raj Institutions, local authorities and statutory bodies, therefore, it is considered appropriate that State Government be empowered to exempt such class of sales or purchases from the operation of aforesaid sub-section (2A). Accordingly, a proviso to that effect is proposed to be added after the aforesaid sub-section (2A).

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003
(Act No. 4 of 2003)

xx xx xx xx

20. Payment of tax.–(1) to (2) xx xx xx

(2A) Notwithstanding anything contained in this Act, but subject to the provisions of sub-section (2), where a registered dealer sells goods to a department of the State Government or to a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the State Government or a co-operative society having contribution of State Government in its share capital or a municipality or a Panchayati Raj Institution at district and block level or any other local authority or statutory body constituted by or under a law of the State Legislature, such department, public sector undertaking, corporation, company, co-operative society, municipality, Panchayati Raj Institution, local authority or statutory body, as the case may be, shall deduct from the amount payable to the selling dealer an amount equal to tax payable by such dealer on such goods and shall deposit or credit the same in the Government account, in the manner and in the time as may be prescribed.

(3) to (6) xx xx xx

xx xx xx xx

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act,2003.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(ASHOK GEHLOT, Minister-Incharge)